भू उपयोग सांख्यिकी - एक झलक

2005-2006 से 2014-2015

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

जून, 2017

प्रस्तावना

भू-उपयोग सांख्यिकी कृषि में योजना और नीति निर्माण के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण मदों में से एक है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भूमि के नौ स्तरीय वर्गीकरण, सिंचित क्षेत्र (स्रोत-वार और फसल-वार) तथा फसलों के अधीन कुल क्षेत्र के संबंध में देश में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़ें संकलित करता है। वर्तमान प्रकाशन इस श्रृंखला में 17वां प्रकाशन है जिसमें 2005-06 से 2014-15 की अवधि के लिए नवीनतम आंकड़ें दिए गए हैं।

इस अंक को तैयार करने में शामिल विस्तृत कार्य श्री पी संगीत कुमार, सलाहकार और श्री राजीव लोचन, सलाहकार के समग्र मार्ग-निर्देशन में किया गया जिसमें इस निदेशालय के विशिष्ट आंकड़ें प्रसार मानक प्रभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय सहयोग दिया।

यह निदेशालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकारियों (एसएएसए) और अन्य स्रोत एजेंसियों का आभारी है जिन्होंने अपेक्षित आंकड़े तैयार करने में सहयोग किया है। इस प्रकाशन को और बेहतर बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है।

(डा. एस.के. मुखर्जी)
वरिष्ठ आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार

जून, 2017

<u>प्रकाशन से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी</u>

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती राधा आश्रित	*अपर सांख्यिकी सलाहकार*
2.	श्री छत्तर सिंह	*परामर्शदाता*
3.	श्री आर.के. थपलियाल	*सहायक निदेशक*
4.	सुश्री टी. त्रिवेणी	*आर्थिक अधिकारी*
5.	श्री मनीष कुमार	*कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी*
6.	श्री कपिल मंडोवरा	*कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी*
7.	सुश्री सुभदा शर्मा	*कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी*
8.	श्रीमती रेशमा अरोड़ा	डीईओ (ग्रेड.सी)
9.	श्रीमती उषा आहुजा	डीईओ (ग्रेड.बी)
10.	श्री चंद्रपाल कुटार	डीईओ (ग्रेड.ए)
11.	श्री अशर्फी लाल	एमटीएस

प्रकाश अनुभाग

1.	श्री पी.सी. बोध	सलाहकार
2.	योगिता स्वरूप	अपर आर्थिक सलाहकार
3.	प्रसेनजीत दास	आर्थिक अधिकारी
4.	डी.के. गौर	उप संपादक
5.	एस.के. कौशल	तकनीकी सहायक (मुद्रण)
6.	उमा रानी	तकनीकी सहायक (मुद्रण)
7.	श्रीपाल सिंह	एम.टी.एस.

कवर डिजाइन

श्रीमती योगेश्वरी टेलर — सहायक ग्राफ

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
	संकल्पना एवं परिभाषाएं	**i-iii**
	व्याख्यात्मक टिप्पणियां	**iv-v**
	<u>अखिल भारतीय संक्षिप्त तालिकाएं</u>	
i	भूमि उपयोग वर्गीकरण – अखिल भारत	**1-2**
ii	निवल सिंचित क्षेत्र (स्रोत-वार) – अखिल भारत	**3**
iii	फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र – अखिल भारत	**4-6**
iv	फसलों के तहत क्षेत्र – अखिल भारत	**7-9**
1.	**भूमि उपयोग वर्गीकरण**	
1.1	राज्य-वार भूमि उपयोग वर्गीकरण	**10-23**
1.2	राज्य-वार सिंचित क्षेत्र	**24-30**
2.	**<u>सिंचित क्षेत्र (स्रोतवार एवं फसलवार)</u>**	
2.1	राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र (स्रोत वार)	**31-37**
2.2	राज्यवार सिंचित क्षेत्र (फसलवार)	**38-58**
2.3	राज्यवार सकल सिंचित क्षेत्र (स्रोतवार)	**59-62**
3.	**<u>फसलों के तहत् क्षेत्र</u>**	
3.1	फसलों के तहत् राज्यवार क्षेत्र	**63-125**

भूमि उपयोग सांख्यिकी

संकल्पना एवं परिभाषाएं

ए: नौ -स्तरीय वर्गीकरण:

1. वन क्षेत्र: इसमें ऐसी समस्त भूमि शामिल है जिन्हें किसी विधिक अधिनियम के तहत् वन के रूप में अथवा वन के रूप में प्रशासन के अधिन शामिल है, चाहे उस पर राज्य का स्वामित्व अथवा निजी स्वामित्व है तथा चाहे वह लकड़ीयुक्त है अथवा क्षमतायुक्त वन भूमि के रूप में उसका रख-रखाव किया जाता है। वन तथा चराई भूमि में उगाई गई फसलों के क्षेत्र अथवा वनों के भीतर चराई के लिए खुले क्षेत्रों को "वन क्षेत्र" के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2. गैर कृषि उपयोगों के तहत् क्षेत्र: इसमें ऐसी समस्त भूमि को शामिल किया गया है जिसका अधिग्रहण भवनों, सड़को एवं रेल्वे अथवा जल के अंतर्गत अर्थात नदियों एवं नहरों, और कृषि को छोड़कर उपयोग में लाई जानs वाली अन्य भूमि के लिए किया जाता है।

3. बंजर एवं गैर कृषि योग्य भूमि: इसमें पहाड़ों, भूमियों आदि को कवर करने वाली सभी भूमि शामिल है। ऐसी भूमि, जिसे अत्यधिक लागत को छोड़कर खेती के तहत् लाया नही जा सकता,को ऐसी गैर कृषि योग्य भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है चाहे ऐसी भूमि पृथक ब्लाको में अथवा कृषिकृत जोतों के भीतर है।

4. स्थाई चरागाह एवं अन्य चराई भूमि : इसमें ऐसी सभी चराई भूमि शामिल है चाहे यह स्थाई चरागाह है अथवा नही। इस श्रेणी के तहत् गांव की सामान्य चराई भूमि को शामिल किया गया है। .

5. मिश्रित पेड़ फसलों आदि के तहत् भूमि: इसमें ऐसी समस्त कृषि योग्य भूमि शामिल है जिसे 'निवल बुआई क्षेत्र' में शामिल नही किया गया है परन्तु इसका उपयोग कुछ कृषि कार्य के लिए किया जाता है। घने पेड़ो, अत्यधिक घास, बांस की झाड़ियों एवं जलावन आदि के लिए अन्य पेड़ो के तहत् भूमि जिन्हें 'बगीचों' के तहत् शामिल नही किया गया है को इस श्रेणी के तहत् वर्गीकृत किया गया है।

6. कृषि योग्य बेकार भूमि: इसमें खेती के लिए उपलब्ध भूमि शामिल है, चाहे उसमें एक बार भी खेती की शुरूआत की गई है अथवा नही की गई है परन्तु कुछ कारणों से मौजूदा वर्ष सहित विगत पांच वर्षों अथवा उससे भी अधिक समय से उसमें खेती नहीं की

गई है। ऐसी भूमि या तो परती हो सकती है अथवा झाड़ियों एवं जंगलों से युक्त हो सकती है, जिसका कोई उपयोग नही किया गया है। उसमें खेती की संभावना हो सकती है अथवा नही भी हो सकती है और वे पृथक ब्लाकों में अथवा कृषिकृत जोतों के भीतर हो सकती है।

7. **मौजूदा परती भूमि को छोड़कर परती भूमि**: इसमें ऐसी समस्त भूमि शामिल है, जिसका उपयोग खेती के लिए किया गया था परन्तु एक वर्ष से भी कम तथा पांच वर्षो से भी अधिक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से खेती नही की जाती है।

8. **मौजूदा परती भूमि**: यह फसलीकृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे मौजूदा वर्ष के दौरान परती रखी जाता है।

9. **निवल बुआई क्षेत्र**: यह फसलों एवं बगीचों के कुल बुआई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही वर्ष में एक से अधिक बार बुआई क्षेत्र की गिनती एक बार ही की जाती है।

बी. कुछ सामान्य रूप से उपयोग में लाये गये मदों की परिभाषाएं:

(i) **भौगोलिक क्षेत्र**: राज्य/संघ शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षैत्र के अफतन आंकड़ों को भारतीय महा सर्वेक्षक के कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया है।

(ii) **भूमि उपयोगिता सांख्यिकी के लिए रिपोर्ट करने वाला क्षेत्र** : रिपोर्ट करने वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए भूमि उपयोग वर्गीकरण पर आंकड़े उपलब्ध है । ऐसे क्षेत्रों जहां भूमि उपयोगिता आंकड़े भूमि रिकार्डो पर आधारित है, में गांव के दस्तावेजों के अनुसार रिपोर्ट करने वाला क्षेत्र ही क्षेत्र है अर्थात दस्तावेजों की तैयारी गांव के लेखाकारों द्वारा की जाती है। कुछ मामलों में, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के संबंध में गांव के दस्तावेजों का रख-रखाव नही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वन क्षेत्रों के लिए गांव के दस्तावेजों को तैयार नही किया जाता है परन्तु ऐसे क्षेत्र की रूपरेखा की जानकारी होती है। इसके आलवा, बहुत से राज्यों में ऐसे क्षेत्र है जिसके लिए गांव के दस्तावेजों का कोई स्तित्व नही होता। ऐसे मामलों में, कवरेज को पूरा करने के लिए कृषि गणना 2000-01 तथा 2005-06 से क्षेत्र के वर्गीकरण संबंधी आंकलनों को अपनाया गया है।

(iii) **सकल फसलीकृत क्षेत्र**: यह किसी खास वर्ष में एक बार और/अथवा एक बार से अधिक बुआई किये गये कुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात इस क्षेत्र की गिनती

एक वर्ष में कई बार बुआई के रूप में की जाती है। इस कुल क्षेत्र को कुल फसलीकृत क्षेत्र अथवा कुल बुआई क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

(iv) एक बार से अधिक बुआई किये गये क्षेत्र: यह उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर कृषि वर्ष के दौरान एक बार से अधिक फसलों की खेती की जाती है।यह सकल फसलीकृत क्षेत्र से निवल बुआई क्षेत्र को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

(v) **सिंचित क्षेत्र**: इस क्षेत्र को ऐसे स्रोतो यथा नहरों (सरकारी एवं निजी), पोखरो, टयूबैलो, अन्य कुओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से खेती के लिए सिंचाई की जाने के रूप में आंका जाता है। इससे दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

(**क**) **निवल सिंचित क्षेत्र**: एक ऐसा क्षेत्र है जिसे किसी विशेष फसल के लिए एक वर्ष में एक बार किसी स्रोत के माध्यम से सिंचित किया जाता है।

(**ख**) **कुल निवल गैर सिंचित क्षेत्र**: यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे निवल बुआई क्षेत्र से निवल सिंचित क्षेत्र को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
(vi) **कुल/सकल सिंचाई क्षेत्र**: यह फसलों के तहत् कुल क्षेत्र है जिसे वर्ष में एक बार एवं/अथवा एक बार से अधिकसिंचित किया जाता है। इसकी गिनती इतनी बार होती है जितने बार एक वर्ष में क्षेत्रों को फसलीकृत किया जाता है तथा उसे सिंचित किया जाता है।

(vii) कुल/सकल गैर सिंचित क्षेत्र**:** यह एक ऐसा क्षेत्र हे जिसे सकल बुआई क्षेत्र से सकल सिंचित क्षेत्र को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

(viii) **फसलीय तीव्रता**: यह कुल फसलीकृत क्षेत्र से निवल बुआई क्षेत्र का अनुपात है।

(ix) **कृषि भूमि/कुल कृषि योग्य भूमि/कुल कृषि योग्य क्षेत्र/कुल खेती योग्य भूमि** : इसमें निवल बुआई क्षेत्र, मौजूदा परती भूमि,मौजूदा परती भूमि को छोड़कर परती भूमि, खेती योग्य बेकार भूमि तथा मिश्रित पेड़ फसलों के तहत् भूमि शामिल है।

(x) **कुल गैर कृषियोग्य क्षेत्र/भूमि:** यह ऐसा क्षेत्र है जिसे कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कुल कृषि योग्य भूमि को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

(xi) **कुल कृषिकृत क्षेत्र/भूमि**: इसमें बुआई किये गये निवल क्षेत्र एवं परती भूमि शामिल है।

(xii) **कुल गैर खेती योग्य क्षेत्र/भूमि**: यह ऐसा क्षेत्र है जिसे कुल जानकारी प्राप्त क्षेत्र से कुल कृषिकृत क्षेत्र को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

<u>स्पष्टीकरण संबंधी टिप्पणियां</u>

(2005-06 से 2014-15)

जहां कहीं भिन्न-भिन्न पैरामीटरों के लिए राज्य सरकारों से किसी खास वर्ष में आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए हैं, वहां निम्नलिखित आकलन प्रकिया का उपयोग किया गया है:

*   **<u>भूमि का वर्गीकरण (भाग-1)</u>**

वन के अंतर्गत क्षेत्र से संबंधित आंकड़े भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की अद्यतन ''वन राज्य रिपोर्ट, 2009'' से लिए जाते हैं। भूमि उपयोग (भाग-1), निवल सिंचित क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र, बुआई किए गए निवल क्षेत्र तथा फसलों के तहत् क्षेत्र संबंधी अन्य श्रेणियों, जैसे भी स्थिति हो, को अद्यतन कृषि गणना से लिया जाता है अथवा उसका अनुमान क्रमश: राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध वर्षीय आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है।

**   **<u>सिंचित क्षेत्र (भाग-II)</u>**

सिंचित क्षेत्र (भाग-II) से संबंधित आंकड़ों का अनुमान या तो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध वर्ष के आंकड़ों के आधार पर लागाया जाता है अथवा उसका अनुमान कृषि गणना से लगाया जाता है/उससे लिया जाता है।

***   **<u>फसलों के अंतर्गत क्षेत्र (भाग-III)</u>**

कुल फसलीकृत क्षेत्र (भाग-III) से संबंधित आंकड़ों का अनुमान या तो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है अथवा यह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अग्रिम/पूर्वानुमान आंकड़ों पर आधारित है।

<u>टिप्पणी</u>: (1) भिन्न-भिन्न आंकडे संबंधी स्रोतों के उपयोग के कारण कुछ राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र एवं अधिसूचित क्षेत्र में अंतर हो सकता है जबकि अधिसूचित क्षेत्र राज्यों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है, भौगोलिक क्षेत्र के निदेशक का कार्यालय, भौगोलिक नक्शा प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण देहरादून द्वारा अपूर्ति किए गए आंकड़ों पर आधारित है तथा इसमें चीन एवं पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत क्षेत्र शामिल हैं।

(2) पहले के प्रकाशनों में जानकारी प्राप्त 2004-2005 से 2013-2014 के आंकडों में राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों पर

आधारित 2005-2006 से 2014-2015 के लिए भूमि उपयोग सांख्यिकी के सभी तीन भागों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है।

(3) भूमि के भिन्न-भिन्न स्तरों अर्थात 9 स्तरीय वर्गीकरण के अनुसार भिन्न-भिन्न उपयोग में लाई जाने वाली भूमि, सिंचाई के तहत् क्षेत्र तथा फसलों के अतंर्गत क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत आंकड़ों को हमेशा राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण रूप से कुल क्षेत्रों में आंकड़ों को पूरा होने के कारण मिला नही सकते।

(4) '0' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो 500 हैक्टेयर से कम है।

(5) रिक्त स्थान का संबोधन गैर उपलब्धता से है अथवा इसका संबोधन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों आंकड़ों की सूचना न होने से है।

(6) एनएएस: पृथक रूप से उपलब्ध नहीं।

(7) (पी): अंनतिम

<u>प्रकाशन संबंधी आंकड़ों के स्रोत</u>:

(i) राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण/ब्यूरो/अर्थ एवं साख्यिकी निदेशालय।

(ii) भौगोलिक नक्शा प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून

(iii) कृषि गणना

(iv) राज्य की वन रिपोर्ट 2009, भरतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून

(v) **<u>2009-10 से ओडिशा की भूमि उपयोग सांख्यिकी (एलयूएस)</u>:** 2009-10 के पहले निदेशक, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, ओडिशा रिपोर्टिग प्राधिकारी रह चूकें हैं/ उनके द्वारा प्रस्तुत भू उपयोग सांख्यिकी (एलयूएस) संबंधी आंकड़ों के स्रोत तथा सांख्यिकी/ आंकडें प्रत्यक्ष अनुमानों पर आधारित थे। 2009-10 से आंकड़ों के स्रोत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) है जो राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकारण (एसएएसएस) है।

अखिल भारतीय संक्षिप्त

तालिकाएं

भाग –I

भू उपयोग वर्गीकरण और सिंचित क्षेत्र

भाग –II

स्रोत-वार और फसल-वार सिंचित क्षेत्र

भाग –III

फसलों के अधीन क्षेत्र

अखिल भारतीय संक्षिप्त तालिकाएं